[2023] 12 एस. सी. आर 477:2023 आई. एन. एस. सी 848

मुकदमों का विवरण

हेमवती और ओआरएस. वी.

वी. होम्बेगौड़ा और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. 2023 का 5780–5781) सितंबर 11,2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःउच्च न्यायालय ने नियमित दूसरी अपील को अनुमति देने में न्यायसंगत होने पर यू/एस का नेतृत्व किया। 100, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.100–दूसरी अपील–कानून का अस्पष्ट प्रश्न तैयार नहीं किया गया–अनुचितताः

आयोजित किया गयाःजहाँ तक तथ्यों के प्रश्न का संबंध है, प्रथम अपीलीय न्यायालय वित्तीय न्यायालय होता है और यह केवल तभी होता है जब किसी मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि उच्च न्यायालय नियमित दूसरी अपील पर विचार कर सकता है–यदि प्रवेश के स्तर पर कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा समझा जाता है तो उन्हें तैयार करना होगा और अपीलों को स्वीकार करना होगा–इसके बाद ही पक्षकारों को प्रवेश के स्तर पर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुना जाना होगा–हालाँकि, सी. पी. सी. उच्च न्यायालय को कानून के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने या दूसरी अपील की कानूनी सुनवाई के समय पक्षों को सुनने के लिए पहले से ही बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढालने की शक्ति देता है।

मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ तो अपील पर विचार नहीं किया जा सकता था और इसे स्वीकार करने के स्तर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था–लेकिन दूसरी ओर, कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के अभाव में, अपील की अनुमति दी गई थी, वह भी, प्रवेश के स्तर पर, अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए बिना, 3 और 4 और केवल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के वकील को सुनकर जो कैविएट पर थे–नियमित दूसरी अपील में विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया और साथ ही समीक्षा याचिका को दरकिनार कर दिया गया–मामले उच्च न्यायालय को भेजे गए। [पारस 13–16,18]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.100–नियमित दूसरी अपील,

पालन किए जाने वाले अभ्यास–कानून–चर्चा।

अभ्यास और प्रक्रिया–प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुण–दोष के आधार पर नियमित अपील पर विचार नहीं किया था, मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया था–वैधानिकताः

आयोजित किया गयाःयदि उच्च न्यायालय ने सोचा कि वह नियमित अपील में देरी को माफ नहीं करता है, तो मामले को गुण–दोष के आधार पर नियमित अपील पर विचार करने के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, न कि केवल

निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर मामले को नए निर्णय के लिए निचली अदालत को भेजा जाना चाहिए–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।[पैरा 12]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

भाग्यश्री अनंत गांवकर बनाम। नरेंद्र @नागेश बर्मा होल्कर और अन्न। 2023 के सी. ए. सं. 4935 में दिनांकित 07.08.2023 निर्णय; रूप सिंह

बनाम राम सिंह (2000) 3 एससीसी 708:[2000] 2 एससीआर 605; सी. ए. सुलेमान बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अलवेई (2006) 6 एस. सी. सी. 392:[2006] 4 पूरक।एससीआर

152; भारतीय स्टेट बैंक बनाम एस. एन. गोयल (2008) 8 एस. सी. सी. 9215; नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम पंजाब एस. ई. बी. (2010) 13 एस. सी. सी. 216:[2010] 13

एससीआर 658; उमरखान बनाम बिस्मिल्लाबी (2011) 9 एससीसी 684:[2011] 9 एससीआर 551;

राघवेंद्र स्वामी मठ बनाम उत्तराडी मठ (2016) 11 एस. सी. सी. 235:[2016] 3

एस. सी. आर. 11–पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं 479

हेमवती और ओआरएस. वी.वी. होम्बेगौड़ा 480

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के क्रमशः 2022 के आर. पी. No.536 और 2022 के आर. एस. ए. No.291 में दिनांकित 23.06.2022 और दिनांकित 13.04.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

मेसर्स नुली एंड नुली, आनंद संजय एम नुली, आगम शर्मा, धर्म सिंह, शिव स्वरूप, एड.अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, शांतकुमार वी. महाले, हरिशा एस. आर., राजेश महाले, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

नागरत्ना, जे.

छुट्टी दे दी गई।

ये दो और अपीलें हैं जो कम समय के भीतर कर्नाटक उच्च न्यायालय से उत्पन्न होती हैं, जिसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) की धारा 100 के तहत नियमित दूसरी अपील की अनुमति दी जाती है।इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1,3 और 4 को नोटिस जारी नहीं किया गया होगा और यह सेवा प्रदान की गई होगी क्योंकि प्रवेश के चरण में दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी और यदि नोटिस जारी किया गया था और दिया गया था तो उक्त उत्तरदाताओं के लिए कोई वकील नहीं सुना गया था।यह केवल उपरोक्त दो आधारों के आधार पर है, अपीलों को अनुमति देनी होगी और आर. एस. ए. No.291/2022 में पारित उच्च न्यायालय के विवादित आदेश (ओं) को 13.04.2022 पर निपटाया जाएगा और 23.06.2022 पर निपटाई गई समीक्षा याचिका No.536/2022 को दरकिनार करना होगा।संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने द्वितीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, बेंगलुरु, कर्नाटक के न्यायालय के समक्ष मूल वाद का नेतृत्व किया था, जिसमें विभाजन से राहत और वाद अनुसूची संपत्ति में अपने–अपने शेयरों

के अलग कब्जे की मांग की गई थी।07.02.2012 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा, वाद को प्रत्येक वादी (यहाँ अपीलकर्ता) को 1/4 हिस्सा देने का आदेश दिया गया था।

पीड़ित होने के कारण, उक्त मुकदमे में प्रतिवादियों ने द्वितीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष नियमित अपील संख्या 1/2021 को प्राथमिकता दी।

बेंगलुरु के ग्रामीण जिले ने अपील में 2945 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की।दिनांक 07.02.2022 के आदेश द्वारा, देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था और परिणामस्वरूप अपील भी खारिज कर दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप निचली अदालत के फैसले और डिक्री में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

नियमित अपील को खारिज किए जाने से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने आर. एस. ए. No.291/2022 को प्राथमिकता दी। दिनांक 13.04.2022 के विवादित निर्णय द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 के नेतृत्व में अपील को नियमित अपील में 2945 दिनों की देरी को माफ करके अनुमति दी गई है, लेकिन मामले को एक नए निर्णय के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त लिखित बयान देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है और निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए जाएं और वादी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 के साक्ष्य को छह महीने की अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर लिया जाए और उसके बाद छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाए।इसके अलावा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पक्षों को अधिकार और अलगाव के संबंध में मुकदमे की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था, जबकि सभी दलीलों को निचली अदालत के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला रखा गया था।इस स्तर पर ही, यह इंगित किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर नियमित अपील पर विचार नहीं किया था, लेकिन मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को पारित करके निचली अदालत में भेज दिया गया है।

इसमें अपीलकर्ता, जो उस मुकदमे में वादी थे, जो घोषित किया गया था, दिनांकित 13.04.2022 के फैसले से व्यथित होने के कारण, उन्होंने समीक्षा याचिका No.536/2022 को प्राथमिकता दी।दिनांक 23.06.2022 के आदेश द्वारा, समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है।इसलिए, ये अपीलें।

हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील और प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 वेंकटरमणप्पा की मृत्यु इस न्यायालय के समक्ष 12.01.2023 पर मामले (ओं) के लंबित रहने के दौरान हुई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त वेंकटरमणप्पा ने आर. ए. No.62/2012 को प्राथमिकता दी थी, लेकिन उसी को वापस ले लिया था और उक्त अपील (ओं) को 10.08.2018 पर वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

इन परिस्थितियों में, हमारे प्रस्तावित निर्णय को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर मामले (ओं) को मृतक-प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की आवश्यकता होगी।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय में दो मुख्य गंभीर त्रुटियां हैं:सबसे पहले, नियमित दूसरी अपील को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना प्रवेश के स्तर पर अनुमति दी गई है जो सी. पी. सी. की धारा 100 के अधिदेश के विपरीत है; दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष सभी उत्तरदाताओं को मामले (मामलों) में

नहीं सुना गया था और यह विवादित निर्णय के कारण शीर्षक को पढ़ने पर स्पष्ट होता है जिसमें केवल प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा कैविएटर के रूप में किया गया था।इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी Nos.1,3 और 4 की सुनवाई के अभाव में, दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।तीसरा, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय नियमित अपील में 2945 दिनों की देरी को माफ करने में सही नहीं था क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश द्वारा विलंब और विलंब के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।इसलिए, उच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2022 के विवादित आदेश/निर्णय के साथ-साथ दिनांक 23.06.2022 की समीक्षा याचिका में पारित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

इसके विपरीत, प्रथम प्रत्यर्थी, जो आर. ए. <आई. डी. 1 में प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी और अपीलकर्ता हैं, की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने विवादित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि मामले (ओं) को निचली अदालत में भेजा जा रहा है, इसलिए सभी दलीलों को खुला रखा जा सकता है और सभी पक्षों को अतिरिक्त अवसर देकर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ प्रत्यर्थियों की सुनवाई नहीं की जा सकती है।उन्होंने आगे कहा कि अंततः उच्च न्यायालय द्वारा की गई रिमांड के अनुसार सभी पक्षों को पूरा अवसर दिया जाएगा और इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

मृतक-प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय इन मामलों को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजता है तो मृतक प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर आने का अवसर दिया जा सकता है ताकि कानून के अनुसार अपीलों को चुनौती दी जा सके।

तथ्यों और तर्कों के उपरोक्त वर्णन को दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी।अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया है कि

विवादित फैसले में तीन गंभीर खामियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका में पारित आदेशः

(i) कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के अभाव में, नियमित दूसरी अपील की अनुमति दी गई है।यह सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत जनादेश का उल्लंघन है।

((ii) यह कि आक्षेपित निर्णय यह इंगित नहीं करता है कि प्रत्यर्थी Nos.1,3 और 4 को उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया था क्योंकि कारण शीर्षक इंगित करता है कि केवल दूसरे प्रत्यर्थी को कैविएटर के रूप में सुना गया था और उक्त प्रत्यर्थी की सुनवाई के अभाव में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में पारित आदेश और निर्णय को रद्द कर दिया गया है।

(iii) कि 2945 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया है जिसने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में उपरोक्त गंभीर असंवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है।

(iv) हम यह भी जोड़ सकते हैं कि मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत में भेज दिया गया है, जब पहली अपीलीय अदालत ने गुण-दोष के आधार पर नियमित अपील पर विचार नहीं किया था।यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि वह नियमित अपील में देरी को माफ नहीं करता है, तो मामले को गुण-दोष के आधार पर नियमित अपील पर विचार करने के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, न कि केवल निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर मामले को नए फैसले के लिए निचली अदालत को भेजा जाना चाहिए।

दूसरी अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वविदित है।यह उच्च न्यायालय का एक अनूठा अधिकार क्षेत्र है जहाँ उच्च न्यायालय विशुद्ध रूप से कानून के "सारवान" प्रश्न पर एक नियमित दूसरी अपील पर विचार कर सकता है, न कि

कानून का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न।यह एक स्थापित कानून है कि जहां तक तथ्यों के प्रश्न का संबंध है, प्रथम अपीलीय न्यायालय अंतिम न्यायालय है और यह केवल तभी होता है जब किसी मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि उच्च न्यायालय एक नियमित दूसरी अपील पर विचार कर सकता है और यदि प्रवेश के चरण में कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा समझा जाता है तो उन्हें तैयार करना होगा और अपील (ओं) को स्वीकार करना होगा।इसके बाद ही उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश के स्तर पर बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पक्षों को सुना जाना है।

हालांकि, सी. पी. सी. उच्च न्यायालय को कानून के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने या दूसरी अपील की अंतिम सुनवाई के समय पक्षों को सुनने के लिए पहले से ही बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढालने की शक्ति देता है।यदि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी एक नियमित दूसरी अपील के प्रवेश के चरण में भी रिकॉर्ड में हैं और इस स्तर पर भी इसका निपटान किया जाना है, तो नियमित दूसरी अपील को स्वीकार करने और निपटाने से पहले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया जाना चाहिए और उनका उत्तर दिया जाना चाहिए।

विवादित आदेश के अवलोकन पर, हमें पता चलता है कि इसे तैयार नहीं किया गया है।उक्त त्रुटि को विद्वान न्यायाधीश द्वारा समीक्षा याचिका में पारित आदेश में यह कहते हुए जोड़ा गया है कि अपील (ओं) में कानून का ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।वास्तव में, विद्वान न्यायाधीश को उद्धृत करके इस पहलू को उजागर करना आवश्यक है जो उन्होंने समीक्षा याचिका में पारित आदेश के पैराग्राफ '3' में कहा हैः

"3. आर. एस. ए. No.291/2022 में दिनांकित 13.04.2022 निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कैविएट दर्ज किया था।जब अपील को स्वीकार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान में दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं था, लेकिन संभावित था।इस न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के नेतृत्व में की गई अपील को समय द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया गया था।इसलिए इस न्यायालय ने महसूस किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थियों द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव करने के अवसर से वंचित था।इसलिए Rs.50,000/- की लागत लगाई गई और मामले को छह महीने के भीतर निपटाने के लिए भेज दिया गया। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की।यह न्यायालय दूसरी अपील का निपटारा करने से पहले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता से अवगत था, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों में घोषित किया गया था।हालाँकि, यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था, क्योंकि विचारण न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया था कि प्रश्न शामिल था, क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय नहीं दिया था।."

उपरोक्त अनुच्छेद अपने लिए उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में अविश्वास के बारे में बताएगा।यदि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठा तो अपील पर विचार नहीं किया जा सकता था और इसे स्वीकार करने के स्तर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

लेकिन दूसरी ओर, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के अभाव में अपील की अनुमति दी गई है, वह भी प्रवेश के स्तर पर, अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए बिना, 3 और 4 और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के लिए केवल विद्वान वकील को सुनकर, जो कैविएट पर था।उपरोक्त त्रुटियाँ इस तथ्य से और बढ़ जाती हैं कि सफल वादियों को, जो उन्हें जारी किए जाने वाले किसी भी नोटिस के बदले में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी थे, 1,000/- (केवल पचास हजार

रुपये) की राशि प्रदान की गई थी!इसमें प्रथम प्रत्यर्थी (उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में अपीलार्थी) द्वारा प्रत्यर्थी–वादी (ओं) को भुगतान करने के लिए Rs.50,000/– की राशि का आदेश देकर उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

इस संदर्भ में, एक नियमित दूसरी अपील पर विचार करते समय पालन की जाने वाली प्रथा पर कानून को इस न्यायालय द्वारा भाग्यश्री अनंत गांवकर बनाम 2023 के सी. ए. संख्या 4935 में दोहराया गया है। नरेंद्र @नागेश बर्मा होल्कर और अन्र. दिनांकित 07.08.2023, और इस संबंध में प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार उजागर किए गए हैंः

क) रूप सिंह बनाम राम सिंह, (2000) 3 एस. सी. सी. 708, जैसा कि सी. ए. सुलेमान बनाम में बताया गया है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अलवेई (2006) 6 एस. सी. सी. 392:

"7. यह दोहराया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय की धारा 100 सी. पी. सी. अधिकारिता के तहत दूसरी अपील पर विचार करने के लिए केवल ऐसी अपीलों पर ही सीमित है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को धारा 100 सी. पी. सी. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्य के शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है।

ख) भारतीय स्टेट बैंक बनाम। एस. एन. गोयल (2008) 8 एस. सी. सी. 9215:"15. यह चिंता का विषय है कि दूसरी अपीलों के दायरे और दूसरी अपीलों के प्रक्रियात्मक पहलुओं को भी अक्सर उच्च न्यायालयों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।कुछ बार–बार की जाने वाली त्रुटियाँ हैंः(क) दूसरी अपील को स्वीकार करना जब यह कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है।

(ख) कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना दूसरी अपीलों को स्वीकार करना।

485

हेमवती और ओआरएस. वी.वी. होम्बेगौड़ा [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 486

(ग) एक मानक या यांत्रिक प्रश्न तैयार करके दूसरी अपील को स्वीकार करना जैसे कि "क्या तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप की मांग करता है" कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में।

(घ) दूसरी अपील में शामिल कानून के प्रासंगिक और उचित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने और तैयार करने में विफल रहना। (ई) दूसरी अपील को इस आधार पर खारिज करना कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, जब मामले में वास्तव में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।

(च) निर्णय तैयार करते समय सुनवाई के समापन के बाद कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न में सुधार करना, जिससे पक्षों को कानून के संशोधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता है।

(छ) साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके और कानून के प्रश्नों की अनदेखी करते हुए तथ्यों में हस्तक्षेप करके दूसरी अपील का निर्णय लेना।ये खामियां या तकनीकी त्रुटियां अन्याय का कारण बनती हैं और इस न्यायालय में टालने योग्य आगे की अपीलों और इस न्यायालय द्वारा रिमांड को भी जन्म देती हैं, जिससे मुकदमे की अवधि बढ़ जाती है।यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन मामलों में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों को खारिज नहीं किया जाए क्योंकि उनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं हैं।."

ग) नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम पंजाब एस. ई. बी., (2010) 13 एस. सी. सी. 216:

"16 दूसरी अपील का निर्णय केवल न्यायसंगत आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निहित है, जो तथ्य के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से कुछ अलग है।अदालत तब तक दूसरी अपील पर विचार नहीं कर सकती जब तक कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, क्योंकि दूसरी अपील प्रासंगिक साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर तथ्य

के गलत तथ्यों के आधार पर नहीं होती है।कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व दूसरी अपील पर विचार करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है; ऐसा करने में विफलता पर, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।द.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

धारा 100 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व एक अनिवार्य शर्त है। यह अदालत का दायित्व है कि वह विधायिका के इरादे को और स्पष्ट करे और उसकी अनदेखी करके उसे हतोत्साहित न करे।."घ) उमरखान बनाम बिस्मिल्लाबी, (2011) 9 एससीसी 684:

"11. हमारे विचार में, दूसरी अपील की सुनवाई में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्माण पर आधारित है।उच्च न्यायालय के निर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध बना दिया जाता है, यदि दूसरी अपील की सुनवाई की जाती है और कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना निर्णय और डिक्री को उलट दिया जाता है।धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय की दूसरी अपीलीय अधिकारिता संहिता की धारा 96 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र के समान नहीं है; यह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न या कानून के प्रश्नों तक सीमित है जो निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील से उत्पन्न हो सकते हैं।कानून के मामले के रूप में, दूसरी अपील उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी स्वीकार की जा सकती है जब उसे इस बात का संतोष हो कि मामले और उसके निर्माण में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।संहिता की धारा 100 में प्रावधान है कि इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाएगी।हालाँकि, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह कानून के सारवान प्रश्न को फिर से तैयार करे या कानून के सारवान प्रश्न को नए सिरे से तैयार करे या यह अभिनिर्धारित करे कि दूसरी अपील की सुनवाई के समय कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं है, लेकिन संहिता की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय और डिक्री को उलटना कानून के सारवान प्रश्न और ऐसे प्रश्न पर निर्णय तैयार किए बिना अनुज्ञेय है।."

ई) राघवेंद्र स्वामी मठ बनाम उत्तराडी मठ, (2016) 11 एस. सी. सी. 235 '18। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अभी तक मामले को स्वीकार नहीं किया है।यह विवाद में नहीं है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया है क्योंकि यह तब नहीं हो सकता था जब अपील स्वीकार नहीं की गई हो।हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपील को केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न/प्रश्नों पर ही स्वीकार किया जाना आवश्यक है।यह धारा 487 के तहत एक अपील की तरह औपचारिक स्वीकार नहीं हो सकता है।

हेमवती और ओआरएस. वी.वी. होम्बेगौड़ा [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

96 सीपीसी। यही मौलिक अनिवार्यता है।यह चरित्र में अपरिवर्तनीय है, और यह सिद्धांत को पूरी तरह से मौलिक बनाता है।" इन परिस्थितियों में, नियमित दूसरी अपील के साथ-साथ पुनर्विचार याचिका में पारित दिनांकित 13.04.2022 के विवादित निर्णय और दिनांकित 23.06.2022 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।कानून के अनुसार और विवादित निर्णय और आदेश में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। चूँकि पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मृतक-प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को इसमें पहले प्रतिवादी द्वारा, जो उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता था, आवश्यक आवेदनों को दर्ज करके रिकॉर्ड (आर-4 उच्च न्यायालय के समक्ष) पर लाया जाए ताकि अपने कानूनी प्रतिनिधियों के अनुरोधों को रिकॉर्ड पर लाया जा सके और उसके बाद कानून के अनुसार नियमित दूसरी अपील का निपटारा किया जा सके।

अपीलों की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त शर्तों में उनका निपटारा किया जाता है।स्व वहन कोई खर्च नहीं।

यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित पक्षों के विद्वान वकील के सहयोग से, नियमित दूसरी अपील का शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे